निबंधन एवं शर्तें

जोनल एईएफआई वरिष्ठ परामर्शदाता (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतः संविदा आधार पर उपर्युक्त पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

परियोजना का संक्षिप्त विवरणः

भारत में एईएफआई निगरानी कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1988 में की गई थी तथा एईएफआई निगरानी दिशा-निर्देश पहली बार वर्ष 2005 में प्रकाशित किए गए थे। मौजूदा राष्ट्रीय एईएफआई निगरानी कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने व प्रतिरक्षण प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सहयोग देने के साथ-साथ एईएफआई रिपोर्टिंग, जांच, डाटा प्रबंधन सहित कैजुअल्टी आकलन, निगरानी, डॉक्यूमेंटेशन, आकलन प्रचालन संबंधी अनुसंधान व प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय एईएफआई समिति की वर्ष 2008 में स्पष्ट भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों के साथ एईएफआई सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। एईएफआई सचिवालय जॉन स्नो इंडिया (जेएसआई) में प्रतिरक्षण तकनीकी सहायता इकाई (आईटीएसयू) में अंतःस्थापित है। एईएफआई सचिवालय राष्ट्रीय एईएफआई समिति के साथ मिलकर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संपूर्ण जवाबदेही के साथ आईटीएसयू एईएफआई नेतृत्व के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा। जोनल एईएफआई परामर्शदाता राज्य स्तरीय समन्वयन को बेहतर बनाने व अभिज्ञात राज्यों में एईएफआई निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए जोनल स्तर पर प्रतिरक्षण प्रभाग व एईएफआई सचिवालय का प्रतिनिधि होगा।

कार्य विवरण/उत्तरदायित्व:

अभिज्ञात राज्यों में एईएफआई निगरानी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता देना व टीका फार्माकोविजिलेंस कार्यकलापों के रणनीतिक प्रबंधन हेतु कार्यक्रम लीडर-एईएफआई सचिवालय व औषधि विनियामक के साथ मिलकर कार्य करना, विशेषकर देश में एईएफआई निगरानी से संबंधित कार्यकलाप करना, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

राज्यों में एईएफआई निगरानी का सुदृढ़ीकरण व टीका सुरक्षा को बेहतर बनाना।

- मानक प्रारूपों में एईएफआई की शीघ्र अधिसूचना, रिपोर्टिंग व जांच को सुदृढ़ करने के लिए जोनल परामर्शदाता को दिए गए राज्यों (व जिलों) को सहयोग देना।
- रिपोर्ट किए गए एईएफआई मामलों व एईएफआई निगरानी कार्यक्रम के निष्पादन से संबंधित राज्यों/जिलों को नियमित फीडबैक प्रदान
- लंबित दस्तावेजों हेतु जिलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना, गुणवत्तापूर्ण कैजुअल्टी आकलन हेतु प्रारंभिक जांच सुनिश्चित करना इसके बाद जोन के रिपोर्ट किए गए मामलों का डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना।
- राज्यों व जिलों में एईएफआई निगरानी कार्यकलापों हेतु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना व कार्यान्वयन में सहयोग देना।
- एईएफआई कार्यकलापों की निगरानी हेतु राज्यों व जिलों का क्षेत्रीय दौरा करना, विशेष हित के गंभीर एईएफआई मामलों की जांच में समन्वय करना व प्रतिरक्षण प्रभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)/कार्यक्रम लीडर- एईएफआई को फीडबैक प्रदान करना।
- राज्यों में एईएफआई तकनीकी सहयोगी केन्द्रों की पहचान व समन्वयन करने में सहयोग प्रदान करना।
- एईएफआई निगरानी कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु व्यावसायिक एसोसिएशनों (आईएपी, आईएमए, आईएपीएसएम आदि) के साथ सहयोग व समन्वयन करना।
- एईएफआई हेतु विश्लेषणात्मक क्षमता का विकस व कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण व अन्य संबंधित गतिविधियों सहित राज्य व जिला स्तर पर एईएफआई सचिवालय द्वारा निर्धारित कार्य पर्यवेक्षण व समन्वयन करना।

- एईएफआई हेतु अनुसंधान व एम एंड ई सहित राज्यों व जिलों में एईएफआई गतिविधियों की योजना, कार्यनीति योजना व प्रबंधन में सहायता करना।
- एईएफआई कार्यक्रम त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए एईएफआई डाटा का विश्लेषण करना व योजना बिंदु नीति परिवर्तन/पहचान करना।
- एईएफआई से संबंधित प्रशिक्षण सत्रों के संचालन हेतु राज्य एईएफआई समितियों (विशेष रूप से कैजुअल्टी निर्धारण में) और जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यों का विश्लेषण करना।
- एईएफआई मामलों के मीडिया प्रबंधन में राज्य/जिलों की सहायता करना।
- मीडिया कर्मियों व सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रबंधन कार्यशालाओं का समन्वयन।

प्रतिरक्षण सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण (एनआरए) के साथ समन्वयन

- प्रतिरक्षण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर औषधि विनियामकों के साथ समन्वय करना, क्षेत्रीय जाँच में सहायता तथा नमूना एकत्रिकरण सहित एईएफआई मामलों के अनुवर्ती कार्य तथा नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला के साथ समन्वय करना।
- राज्य व जिला स्तरों पर प्रस्तावित फार्माकोविजिलेंस अधिकारी/एसोसिएट्स के साथ समन्वयन तथा राज्यों में प्रतिरक्षण सुरक्षा डाटा की संयुक्त समीक्षा करना।
- जोन में विभिन्न राज्यों के लिए वार्षिक सुधार योजना तैयार करने में सहायता करना।

क्षेत्र तथा राज्य स्तर पर भागीदारों के साथ कार्य करना।

अपेक्षित/वांछित अर्हताएः

शिक्षाः एमबीबीएस और जन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधन में 5 वर्ष का अनुभव। यदि अभ्यर्थी जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर की अवधि को एमबीबीएस पश्चात अनुभव माना जाएगा। एमपीएच/एमडी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अभ्यर्थी के पास सांख्यिकी विश्लेषण ज्ञान, बड़े पैमाने पर और विविध डाटा को एकत्र करने व विश्लेषण क्षमता तथा बहु साझेदारों के साथ सौहार्दपूर्ण रूप से सूचना साझा करने तथा बहु संस्कृति परिवेश में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।

आयु: आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 45 वर्ष तक की आयु तथा व्यापक क्षेत्रगत कार्य करने हेतु अच्छा स्वास्थ्य होना अनिवार्य है।

पारिश्रमिक: प्रतिमाह 90,000/- रु. से 1,50,000/- रु. के बीच।

तैनाती स्थान: एईएफआई सचिवालय, आईटीएसयू, नई दिल्ली

आवेदन करने के लिएः उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट (http://nhsrcindia.org) पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **17-Jan-2023** है।